न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–नेहा गिरि, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट धौलपुर

(आर0सी0एम0एस0 नं0 2019/00030)

प्रकरण संख्या :– 15/2019

व उनवानी प्रकरण :–

1. जितेन्द्र सिंह परमार पुत्र रघुवीर सिंह परमार निवासी परशुआपुरा थाना राजाखेडा जिला धौलपुर ———————————————————————————प्रार्थी ।

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये प्रभारी अधिकारी (न्याय अनुभाग) जिला कलैक्ट्रेट धौलपुर राजस्थान ——————————————————————————— अप्रार्थी ।

प्रार्थना पत्र बावत आर्म्स अनुज्ञा पत्र बहाल/ नवीनीकरण अन्तर्गत धारा 54 आयुध नियम 1962

उपस्थितिः–

3. प्रार्थी की ओर से :– प्रार्थी स्वंय उपस्थित ।
4. अप्रार्थी की ओर से :– श्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)।

निर्णय दिनांक 9.7..2019

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 33/2003 जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 31.12.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 1140 दिनांक 15.2.2016 एवं 4369 दिनांक 7.10.2016 से प्रार्थी के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नही किये जाने की अनुशंषा की थी। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की रिपोर्ट के आधार पर आदेश कमांक 3603–07 दिनांक 2.11.2017 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी प्रार्थी जितेन्द्र सिहं पुत्र रघुवीर सिहं के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 33/2003 को निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये थे।

उक्त आदेश दिनांक 2.11.2017 से व्यथित होकर प्रार्थी ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर में अपील दायर की। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 14.3.2019 के द्वारा प्रार्थी की अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 2.11.2017 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस

नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया कि प्रार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर, तथ्यों एवं संभावनाओं के परस्पर विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त भरतपुर संभाग भरतपुर के आदेश दिनांक 14.3.2019 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्ष को तलब किया गया। प्रार्थी स्वंय उपस्थित हुआ तथा अप्रार्थी की ओर से श्री दिव्या कमठान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुए।

प्रकरण में अनुज्ञा पत्र बहाली के सम्बन्ध में पत्र कमांक 414 दिनांक 19.6.2019, से जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट कमांक 2470 दिनांक 19.6.2019 द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में थानाधिकारी थाना राजाखेडा मार्फत वृत्ताधिकारी वृत्त मनियॉ से जांच कराई गई। मुताविक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा इस अवधि में शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0 नं0 18/2005 दर्ज है। जिसमें नतीजा चार्जशीट नम्बर 53 धारा 147, 148, 332, 336, 353, 395, 397 455 आई पी सी व 3 पी. डी. पी एक्ट व 135 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में किता की जाकर पेश न्यायालय की गई जिसमें प्रार्थी को न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेश दिनांक 9.4.2015 द्वारा साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया व प्रार्थी के खिलाफ मु0 नम्बर 83/92 दर्ज है जिसमें बाद अनुसंधान नतीजा चार्जशीट में किता की जाकर पेश न्यायालय किया गया जिसमें न्यायालय एम. जे. एम. साहब राजाखेडा के फैसला दिनांक 27.6.1996 के द्वारा प्रार्थी को बरी किया गया । प्रार्थी का चाल चलन ठीक पाया गया । यदि प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किया जाता है तो स्थानीय पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। शस्त्र का भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया है। और शस्त्र थाना हाजा पर दिनिांक 9.8.2016 को जमा कराया जा चुका है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है।

जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा शस्त्र के भौतिक निरीक्षण एवं सत्यापन की रिपोर्ट नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा पत्र कमांकः 422 दिनांक 26.6.2019 द्वारा शस्त्र के निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.6.2019 के द्वारा अवगत कराया है कि प्रार्थी का शस्त्र दिनांक 6.8.2016 से मालखाना में जमा है जिसको निकलवा कर शस्त्र का भौतिक निरीक्षण किया गया जो 12 बोर दुनाली लाईसैन्स नम्बर 33/2003 दुरूस्त हालात में है शस्त्र के बैरल को चैक किया गया तो खाली बैरल साफ थी।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि प्रार्थी ने अपने हथियार का कभी भी कोई दुरूपयोग नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध जो प्रकरण बताये गये हैं, उनमें सभी में न्यायालय द्वारा बरी किया जा चुका है। प्रार्थी को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण पूर्व

15/11/19
नेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

के दर्ज है। इसके पश्चात् प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2015 तक लगातार नवीनीकरण हो रहा है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि केवल क्रिमिनल प्रकरणों में लिप्त होना लोक शान्ति व लोक सुरक्षा को इफैक्ट नहीं करते हैं। इसके आधार पर अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता। जिला पुलिस अधीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.6.2019 द्वारा भी प्रार्थी के आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अभिशंसा की है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि प्रार्थी ने कभी हथियारों का दुरूपयोग कर लोक शान्ति भंग की है। अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 2.11.2017 एक पक्षीय रूप से प्रार्थी को बिना सुनवाई एवं बिना साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये पारित किया है। जो कानूनन गलत है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 19.6.2019 से प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 33/2003 को बहाल किया जाकर नवीनीकरण किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने अपनी बहस के दौरान तर्क किया कि प्रार्थी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरूद्ध थाना राजाखेडा में दो मुकदमें दर्ज हुये है जिनमें प्रार्थी को संदेह का लाभ देकर बरी किया गया है। प्रार्थी एक झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, जो कभी भी हथियार का दुरूपयोग कर लोक शान्ति भंग कर सकता है। ऐसे हालातों के मद्दे नजर लोक शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त किया गया है, जो कतही गलत नहीं है। आदेश दिनांक 2.11.2017 को कानून के दायरे में रहकर ही पारित किया गया है, जो पूर्णरूपेण न्यायसंगत है, जिसमें कतई किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 2.11.2017 पारित करने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर के अपनी रिपोर्ट में आर्म्स अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंसा की है। प्रार्थी के विरूद्ध जो मुकदमा होना अंकित किये है, वह वर्ष 1992 एवं 2005 के हैं प्रार्थी का अनुज्ञा पत्र वर्ष 2015 तक नवीनीकरण होता चला आ रहा है। वर्ष 2015 के बाद प्रार्थी के विरूद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। प्रार्थी का चाल चलन अच्छा बताया गया है। है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त/बहाल करने की प्रकिया में जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की अहम भूमिका होती है। चूंकि वह जिले की लोक शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी है। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट 19.6.2019 के द्वारा प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को बहाल किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के बहाल/ नवीनीकरण नहीं किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य सरकार के गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांकः प.1.(13)गृह–9/2006 दिनांक 16.12.2006 के बिन्दु संख्या 5 के उप बिन्दु (5.2.4) में अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण आवेदन के निस्तारण बावत निर्देश दिये गये हैं कि **"तदन्तर अनुज्ञापन अधिकारी अनुज्ञापत्र धारी के आचरण बावत संतुष्टि की जाकर**

मेहा गिरि
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण करेगा।" राज्य सरकार के परिपत्र की पालना में प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को बहाल किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 33/2003 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति अप्रार्थी एवं जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर को दी जावे। पत्रावली फैसलशुमार हो। बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.7.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नेहा गिरि)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर